न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 369/2022 दायर दिनाँक 31.08.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. भूरसिंह पुत्र बाघसिंह जाति राजपुत निवासी डढेल तहसील डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. उम्मेदसिंह पुत्र सवाईसिंह 2. गिरधारी सिंह पुत्र सवाईसिंह 3. लक्ष्मणसिंह पुत्र सवाईसिंह 4. सोनसिंह पुत्र सवाईसिंह 5. मनराजसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 6. प्रहलादसिंह पुत्र उम्मेदसिंह 7. विरेन्द्रसिंह पुत्र रणजीतसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण डढेल तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान। 8. तहसीलदार डीडवाना 9. उप पंजीयक छोटीखाटू, तहसील डीडवाना

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा, व निरस्त बेचाण

अन्तर्गत 188 R.T.Act.

में

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 C.P.C.

उपस्थितः–

1. श्री रणजीत बलारा, वकील वादी की ओर से।
2. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 30.06.2025

वाद में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का दिनांक 08.04.2025 पेश हुआ। प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी श्रीमान के बिना क्षैत्राधिकार वाद पेश किया हुआ है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

वादी द्वारा श्रीमान न्यायालय में एक दावा बाबत् निरस्त करने बैचाण दिनांक 28.06.2022 व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जो वादी ने विधि विरूद्ध तरीके से बिना क्षैत्राधिकार के ही श्रीमान के न्यायालय में पेश कर दिया। आवेदन कर्ता द्वारा वादी भूरसिंह के द्वारा वादी भूरसिंह के द्वारा ही खेत खसरा नम्बर 237/33, 33/207, 33/208 वाके सरहद डढेल री रकम अदा कर उक्त भूमि खरीद की गई है तथा खरीद करने के पश्चात उक्त भूमि पर हक अधिकार केवल आवेदनकर्ता का ही रहा है। इसके अलावा अन्य किसी का हक अधिकार नहीं रहा है तथा उक्त दस्तावेज रजिस्टर्ड दस्तावेज है जो उप पंजीयक छोटीखाटू के यहां पंजीकृत है। वादी द्वारा रजिस्ट्री केन्सिलेशन का वाद श्रीमान के न्यायालय में पेश किया है जबकि रजिस्ट्री केन्सिलेशन का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही है। वादी ने बिना क्षेत्राधिकार मिथ्या तथ्य अंकित कर श्रीमान के न्यायालय मे उक्त वाद

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

पेश किया है जो क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज योग्य है। अतः आवेदन कर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारीज फरमावे।

वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर अपने जवाब में बताया कि प्रार्थी ने बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि वादी ने नियमानुसार दावा पेश किया है जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। क्षेत्राधिकार को तय करते समय यह देखना जरूरी होता है कि वाद की आंतरिक संरचना क्या है तथा यह ध्यान में रखना जरूरी है कि दावे का सब्सटेंश क्या है और मुख्य ओब्जेक्ट क्या है, और यह भी देखना जरूरी है कि पक्षकारों के बीच मुख्य ईस्यू क्या है तथा यह भी देखा जाता है कि वाद का बिनाय क्या है। प्रार्थी(प्रतिवादी) उम्मेदसिंह ने अपने हिससे के खेत खसरा संख्या 237/33 रकबा 0.8100 है. में सरकारी सहायता से होज का निर्माण करवा लिया, लेकिन होज की जमीन जो पंचायत के नाम की गयी है वो खसरा संख्या 33 रकबा 2.2900 है. में से 2/229 हिस्सा पंचायत को दे दिया है जबकि उम्मेद सिंह वगैरह को यह जमीन खसरा संख्या 237/33 में से ही पंचायत के नाम करवानी चाहिए थी, क्योंकि इसी खेत में उसने होज बनाया है इस प्रकार प्रतिवादीगण ने भूरसिंह के साथ चार सौ बीसी करके 3 बिस्वा जमीन हड़प कर गये हैं, जिसके कारण उनके पक्ष में किया गया बैचाण का नामान्तकरण उनके नाम किया जाना न्यायोचित नहीं है।

प्रार्थना पत्र में विकय पत्र खारीज करने पर एतराज उठाया गया है लेकिन वादी का वाद केवल विकय पत्र निरस्त करने का नहीं है बल्कि मुख्य आधार अवैध बैचाण पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का है, तथा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वाद श्रीमान के न्यायालय में पेश करने का कानूनी अधिकार है। लेकिन प्रार्थी/प्रतिवादी ने वादी को तंग व परेशान करने के लिये व इस मुकदमें को लम्बा खिंचने के लिये सरासर गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। तथा वादी का कब्जा है तथा बेचने की आड में बेदखल नहीं करें, जिसके लिये स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश है। प्रार्थी/प्रतिवादी पक्ष की और से पिछले करीब 30 माह से विचाराधिन वाद में जवाब पेश नहीं किया है तथा इतना ही नहीं जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उस प्रार्थन पत्र पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र चलने यौग्य नहीं है। इस प्रकार सरासर मिथ्या तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो किसी भी सुरत में चलने योग्य नहीं है, प्रार्थी/प्रतिवादी पक्ष को वाद का जवाब प्रस्तुत कर क्षेत्राधिकार का उल्लेख कर मुदमें का अन्तिम निस्तारण करवाना चाहिए था तथा वाद सुनवाई के निर्णय होने से पक्षकार को सही न्याय मिल सकता है। बिना साक्ष्य व सबुत के वाद को निरस्त करने से वादी को अजहद नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नगदी से संभव नहीं होगी, जबकि वादी कानूनन स्थाई निषेधाज्ञा का दावा करने का अधिकारी है। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र भारी कोस्ट पर खारिज फरमाया जावें।

विद्वान वकुलाय पक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की बहस मुख्यतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पर आधारित रही। वकील प्रतिवादी का दौराने बहस बताया कि, वादी द्वारा श्रीमान न्यायालय में एक दावा बाबत् निरस्त करने बैचाण दिनांक 28.06.2022 व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जो वादी ने विधि विरूद्ध तरीके से बिना क्षेत्राधिकार के ही श्रीमान के न्यायालय में पेश किया है जबकि रजिस्ट्री केन्सिलेशन का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही है। वकील वादी ने दौराने बहस बताया कि वादी का वाद मुख्य आधार स्थाई निषेधाज्ञा है जो कि श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

श्रवणाधिकार का है एवं प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उस प्रार्थना पत्र पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

पत्रावली का अवलोनकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादी द्वारा मुख्यतः बेचाण दिनांक 28.06.2022 निरस्त करने का वाद प्रस्तुत किया गया है जो कि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। जिससे वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। अतः प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी परिपोषणीय एवं न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है। वाद वादी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से खारिज किया जाता है।

—:: आदेश ::—

प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी परिपोषणीय एवं न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर, वाद वादी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 30.06.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner